श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/202

प्रार्थी चरण सिंह पुत्र केहर सिंह जाति रायसिख उम्र 40 वर्ष निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता केहर सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.03.2011 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 02.02.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 23.03.2011 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान जसवीर सिंह पुत्र गंगा सिंह एवं जरनैल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री दिनेश, गिरदावर, समेजा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

17/3/21

जिला पंजीयक महोदय

17/3